

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2021/1408

दिनांक 14/10/2021

प्रार्थीगण :-

1. हनुमान
2. उमाराम
3. हुकमाराम
- पि. लिखमाराम
4. धनी पत्नि लिखमाराम
5. खेताराम
6. कस्तुराराम
- पि. पेलादराम
7. अणसी पत्नि जीवाराम
8. गंगा पत्नि कानाराम
9. पेमाराम
10. कानाराम
- पि. जुगताराम, जाति जाट, निवासी खारिया डेर, तहसील चौहटन

विप्रार्थीगण:-

1. गोकलाराम पुत्र मगनाराम
2. रूखमणाराम
3. मगाराम
4. अमराराम
- पि. श्रीराम,
5. बांकाराम पुत्र तिलोकाराम
6. चेनाराम पुत्र शेराराम
7. भेराराम
8. कुंभाराम
- पि. जुगताराम
9. धीराराम पुत्र लिखमाराम
- जाति जाट, निवासी बीजराड़, तहसील चौहटन
10. शोभाराम पुत्र जगमालाराम
11. धनाराम पुत्र जेठाराम
12. देराजराम पुत्र भगाराम
13. सांवलाराम पुत्र हीराराम
14. अर्जनराम पुत्र पेलादराम
15. मगनाराम पुत्र दमाराम, जाति जाट, निवासी रतासर
16. हीराराम पुत्र अचलाराम, जाति दर्जी निवासी बीजराड़, तहसील चौहटन

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू.राजस्व अधिनियम वास्ते करने नेखमबंदी बाबत।

राजस्व आवेदन सं. 63/2019

दिनांक : 12.10.2021

आदेश

तहसीलदार चौहटन को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील चौहटन, पटवार क्षेत्र बीजराड़ के मौजा खारिया डेर के खेत खसरा सं. 439 रकबा 191.03 बीघा, खसरा सं. 445 रकबा 38.01 बीघा, खसरा सं. 459 रकबा 34.12 बीघा, खसरा सं. 466 रकबा 00.05 बीघा एवं खसरा सं. 467 रकबा 29.15 बीघा, भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के रूबरू किसी स्थाई/मुस्तकिल बिन्दु को आधार मानकर विधिसम्मत तरीके से उपरोक्त भूमि की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करें।

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हों। आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है। प्रार्थीगण कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे।



क्रमांक/भू.अ./2021/1408 + 01411

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार चौहटन
2. प्रार्थीगण हनुमानराम वगैरा
3. विप्रार्थीगण गोकलाराम वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड़/धौरीमन्ना

(भागीरथ राम II)

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

दिनांक 14/10/2021



उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन